उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
संख्या-472/2025/1464/25-27-सिं-9-02एसएवी/23
लखनऊ, दिनांकः 18 सितम्बर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

मध्यगंगा नहर परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित लखावटी शाखा के अन्तर्गत राजवाहों /माईनर के गैप पूर्ण कराये जाने की परियोजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पक्ष में श्री राज्यपाल की ओर से भूमि क्रय के लेखपत्रों के निष्पादन के लिए श्री राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तात्कालिक प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।

2- श्री राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव यदि उप निबन्धक के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके द्वारा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को उपस्थित होने हेतु अधिकृत करते हुए उप निबन्धक के नाम इस आशय का एक पत्र प्रेषित किया जाएगा कि इस लेखपत्र/लेखपत्रों पर श्री राज्यपाल की ओर से पद की हैसियत से हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, उन्हें उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होने से मुक्त किया जाय एवं लेखपत्र को निबन्धन हेतु स्वीकार किया जाय।

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-472/2025/1464(1)/25-27-सिं-9-02एसएवी/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, अलीगढ़/मुरादाबाद/मेरठ ।
2. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर /अमरोहा/ बिजनौर/मेरठ/ अलीगढ़/ संभल / मुरादाबाद।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य अभियन्ता(मध्यगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, अलीगढ़।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है